

उद्यमशीलता को ऋण के साथ जोड़ना - वित्तीय प्रणाली की भूमिका *

के.सी. चक्रवर्ती

श्री आर.एम. मल्ल, अध्यक्ष - भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान, संचालन परिषद के सदस्य, निदेशक डॉ.दिनेश अवस्थी, आमंत्रित पदाधिकारी, संकाय सदस्य, विदा हो रहे छात्र तथा उनके अभिभावक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य, देवियो और सज्जनों। मैं स्वयं को इन स्नातक छात्रों के बीच पाकर बहुत खुश हूँ और मुझे यह सुअवसर प्रदान करने के लिए मैं श्री मल्ल और भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान का आभारी हूँ, विशेषतौर पर मुझे मेरे गृह राज्य, गुजरात में आने का अवसर प्रदान करने के लिए। अतीत में इस मंच से बहुत से वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए होंगे, क्योंकि यह बारहवां दीक्षांत समारोह है। मुझे ऐसे अवसर पर बोलने से संबंधित अपनी सीमाओं का बोध है क्योंकि न तो मैं उद्योगपति हूँ और न ही शिक्षाशास्त्री। फिर भी मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा।

2. दीक्षांत समारोह हमेशा ही विशेष होते हैं। वे विशेष इसलिए होते हैं क्योंकि वे एक साथ निष्कर्ष और आरंभ, दोनों ही होते हैं। दीक्षांत समारोह एक औपचारिक अध्ययन प्रक्रिया की तर्कसंगत परिणति होते हैं। इसलिए यह समय स्नातक छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए राहत का, संतोष की अनुभूति का और हर्ष का होता है। छात्र और भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे अब दुनियारूपी विश्वविद्यालय में आजीवन चलने वाली अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत करेंगे - अनजाने जीवन में सपनों, आशाओं और अपेक्षाओं को लेकर कदम रखेंगे। हमारे समय में जब हमने परीक्षा उत्तीर्ण की थी तब यह सपना नहीं अपितु दुःस्वप्न था, क्योंकि रोजगार आसानी से नहीं मिलता था। अब सारे विश्व में रोजगार उपलब्ध है। तीन तरह के रोजगार होते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जहां कोई काम नहीं होता है और व्यक्ति को बिना काम किए हुए ही वेतन मिलता है। कुछ ऐसे रोजगार होते हैं जहां एक व्यक्ति कुछ घंटों के लिए काम करता है और उसी अनुसार उसे वेतन मिलता है, और कुछ ऐसे काम होते हैं जहां एक व्यक्ति अपने सपनों का सृजन और उन्हें पूरा कर सकता है, दूसरों के लिए रोजगार उपलब्ध

करा सकता है, यही स्वरोजगार अथवा उद्यमशीलता है। आप इसी श्रेणी में आते हैं। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मैं देश के भावी कारोबारी और सामाजिक उद्यमियों के साथ उपस्थित हूँ।

3. आप इस सम्मानित संस्थान से भूतपूर्व छात्र के रूप में जाएंगे। भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान ने 1983 में अपनी क्षमता निर्माण संबंधी पहलें आरंभ कर दी थीं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। 1960 के दशक का अंतिम चरण वह समय था जब भारत ने ऋण का विकास के माध्यम के रूप में उपयोग करके साहसिक प्रयोग किया। वास्तव में उद्यमशीलता और ऋण आपस में जुड़े हुए हैं। इस दिशा में सार्वजनिक नीति संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अथवा सबसे सार्थक कदम थे गारंटियों और संपार्श्विक प्रतिभूतियों को हटाने संबंधी प्रयोग और "सिक्योरिटी आधारित उधार से "प्रयोजन आधारित उधार" की ओर रुख करना। यदि यह संक्रमणकाल न आया होता तो उद्यमशीलता का यह समस्त विकास संभव न हुआ होता।

4. इस नीतिगत हस्तक्षेप में निहित विचार ये थे कि ऋण और वित्त सशक्तीकरण के माध्यम थे। सिक्योरिटी से ऋण को मुक्त कराने के बाद समर्थ और इच्छुक, और रचनात्मक और निपुण निधियों की कमी के कारण परेशानी नहीं झेलेंगे। उधार दी गई निधियों के लिए भौतिक परिसंपत्तियां नहीं बल्कि उद्यमों द्वारा सृजित नकदी प्रवाहों का बट्टागत मूल्य सिक्योरिटी होंगी। इसने उधार देने के तरीकों के संबंध में निर्णयात्मक परिवर्तन किया- इससे उधार देने के तरीकों में निर्णयात्मक परिवर्तन आया और ऋण देने की अवधारणा में आई गतिहीनता में गतिशीलता आ गई। इसके अलावा यह जनसाधारण केंद्रित थी - अस्थिर भौतिक पूंजी के बजाय जीवित उद्यमी पर केंद्रित। मेरा वर्तमान संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक इस परिवर्तन में प्रमुख भूमिका अदा करता है।

5. ऐसा नीतिगत बदलाव न केवल अवसर की समानता पर आधारित था जो कि भारतीय संविधान के प्रावधान और रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता के अनुसार है, अपितु महत्वपूर्ण रूप से यह इस धारणा पर आधारित था कि पूंजी की तुलना में योग्यता ही महत्वपूर्ण है; केवल संसाधन नहीं बल्कि साधनसंपन्नता का महत्व है। इस तरह से भारत की प्रगति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत

* डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 04 अप्रैल, 2011 को ईडीआई, अहमदाबाद में आयोजित बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप ऐंड मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और एनजीओ के प्रबंधन के संबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के बारहवें दीक्षांत समारोह में दिया गया भाषण। इस भाषण को तैयार करने में श्री बाजिल शेख और श्रीमती आर. कौशल्या द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए हम आभारी हैं।

देश की छिपी हुई उद्यमशीलता की क्षमता को आगे आने दे - इसके पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि जिनके पास प्रतिभा और सोच है उन्हें पूंजी संबंधी कठिनाइयां न झेलनी पड़ें। हमारे समक्ष बहुत सी समस्याएं थीं किंतु हम 30 वर्षों के इंतजार के पश्चात 1990 में मुक्त हुए।

6. केवल उद्यमशीलता और वित्त ही पर्याप्त नहीं है। उद्यमशीलता के फलने फूलने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक होता है। कारोबार के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाओं द्वारा कई नीतिगत उपाय किए गए हैं। इनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है जैसे - उधार देने के लिए वित्तीय संस्थाएं, तकनीकी कौशल के विकास के लिए संस्थाएं, तकनीकी उन्नयन में सहायता, विपणन, परामर्श और साथ - साथ उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के रूप में क्षमता निर्माण। मैं इनमें से कुछ पहलुओं की चर्चा करूंगा जो आपके लिए मददगार साबित होंगे।

7. क्षमता निर्माण का उद्देश्य था छिपी हुई योग्यता और समाज में विद्यमान क्षमताओं को खोज निकालना और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि जब उन्हें अवसर प्राप्त हो तो वे इसका लाभ उठा सकें। ऐसी आशा की जा रही थी कि उद्यमशीलता के प्रयास न केवल स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे बल्कि इससे कारोबार भी यदि तेजी से नहीं तो लागातार आगे बढ़ता रहेगा। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, विकास में तेजी आएगी और लोगों के स्थान परिवर्तन में कमी आएगी।

8. शुरुआती क्षमता निर्माण की पहलों में से थी "तकनीशियन स्कीम" जिसे गुजरात की दो राज्य स्तरीय एजेंसियों ने 1969 में शुरू किया था जिसके अंतर्गत उन्होंने संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बिना 100 प्रतिशत वित्तपोषण का लक्ष्य रखा। कालान्तर में यह पहल आइडीबीआई, आइसीआईसीआई, आइएफसीआई और एसबीआई के संयुक्त प्रयास के रूप में 1983 में अहमदाबाद में भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान की स्थापना के रूप में फलीभूत हुई। तब से भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान भारत में उद्यमशीलता विकास के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है और एक शीर्ष निकाय के रूप में भारत के आर्थिक विकास में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

9. आज यह देखकर बहुत राहत मिलती है कि भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान न केवल नए उद्यमियों के लिए योग्यता के संरक्षण का कार्य कर रहा है जो अपनी जोखिम लेने की क्षमता के साथ देश की आर्थिक पृष्ठभूमि ही बदल देंगे, बल्कि यह उन आदर्शवादियों के लिए भी कार्य कर रहा है जो अपने नए और प्रभावशाली विचारों से देश और दुनिया को बदलने की चेष्टा करते हैं और गैर-सरकारी संस्थाओं

के प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम के माध्यम से दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं।

10. समय बीतने के साथ-साथ उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक उद्देश्यों में परिवर्तन आया है लेकिन अर्थव्यवस्था में सक्रियता लाने का प्रयोजन वैसे का वैसे बना हुआ है। जब भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान की स्थापना हुई थी तब यह आशा की जा रही थी कि उद्यमशीलता के कारण भारत के आर्थिक विकास में तेजी आएगी और रोजगार का सृजन होगा। आज की उद्यमशीलता पहले भारत के विकास की गति को बरकरार रखने में सहायता कर रही है। जैसे कि मैं आप सब को 2011 के उद्यमियों के रूप में देख रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कल की उद्यमशीलता निश्चितरूप से भारत को नवाचार और विचारों के माध्यम से नेतृत्व के पायदान पर ला कर खड़ा कर देगी। इस तरह से भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान के पास नई तरह की उद्यमशीलता पूंजी के सृजन के लिए पूरे -पूरे दो दशकों का समय है। मैं संक्षेप में कुछ प्रश्नों पर विचार करूंगा।

उद्यमशीलता: क्या इससे फर्क पड़ता है ?

11. प्रथमतः क्या उद्यमशीलता से फर्क पड़ता है? शूमपीटर और उसके बहुत बाद में किर्ज़नर ने निश्चितरूप से यह सोचा कि हां, इससे फर्क पड़ता है। वास्तव में अर्थशास्त्री उद्यमशीलता को अक्सर भूमि, श्रम और पूंजी की तुलना में उत्पादन के चौथे कारक के रूप में देखते हैं। उन्होंने उद्यमी को प्रवर्तक, जोखिम लेने वाले और मध्यस्थ के रूप में देखा जो नई प्रौद्योगिकी, प्रतिस्पर्धा लाता है और जिसने बाजारों का सृजन किया है। हाल ही में "उद्यमशीलता पूंजी" का बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है।

12. इस बात के अनुभवसिद्ध प्रमाण मिले जुले हैं कि उद्यमशीलता का स्तर और दर आर्थिक विकास, उत्पादकता अथवा रोजगार का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं। तथापि, साधारण धारणा यह है कि उद्यमशीलता न केवल अपने प्रभाव से बल्कि मानवीय विकास के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है।

13. भारत में उद्यमशीलता चार प्रकार की है। प्रथमतः, जीवनयापन के लिए उद्यमशीलता। इसमें गरीबी उपशमन और स्वरोजगार परियोजनाएं जैसे कि पशु पालन, छोटे-मोटे धंधे इत्यादि शामिल हैं। इनके लिए वित्त के साधन हैं गरीबी उपशमन योजनाएं और आज इस प्रकार की उद्यमशीलता सूक्ष्म वित्तीय गतिविधियों और ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों के लिए केंद्र बिंदु बनी हुई है।

14. द्वितीय, उद्यमशीलता जो स्थानीय उद्यमों के लिए आंतरिक कारोबारी समझ पर भरोसा करती है। इनमें प्रमुख रूप से ऐसे

व्यावहारिक/ तकनीकी कुशलता वाले कर्मचारी शामिल हैं जो स्वयं ही छोटे-मोटे सामान बना लेते हैं। प्रमुख रूप से इनमें पहले से स्थापित प्रौद्योगिकियां शामिल हैं और ये स्थापित बाजारों की जरूरतों को पूरा करती हैं।

15. तीसरी, "एड ऑन" अथवा "लाइफस्टाइल" उद्यमशीलता जिसमें जीवनसाथी पार्ट टाइम आधार पर कारोबार आरंभ करते हैं जैसे कि, सिलाई, कैटरिंग, अचार बनाना, ब्यूटी पार्लर, डे-केयर केंद्र इत्यादि। ये विभिन्न कारणों से प्रेरित होते हैं - इनमें से ज्यादातर विशेषतौर पर तब शुरू किये जाते हैं जब साथी की नौकरी छूट गई हो और घरेलू जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य लोग इन्हें पैसे के लिए नहीं बल्कि इसलिए शुरू करते हैं ताकि वे अपनी मर्जी के मालिक हो सकें और अपनी सुविधानुसार अपना कार्यकलाप निश्चित कर सकें। कभी-कभी ऐसा होता है कि इनमें से कुछ गतिविधियां इतनी सफल हो जाती हैं कि वे प्राथमिक गतिविधियां बन जाती हैं।

16. अंततः एक ऐसी भी उद्यमशीलता भी है जो विचारों और नवोन्मेषों से प्रेरित होती है। विशेषरूप से ये नये छोटे उद्यम हैं जिनकी विकास योजना और एक्जिट स्ट्रेटजी स्पष्ट रूप से निर्धारित होती है और ये निधि के लिए उद्यम पूंजी पर अथवा संस्थागत वित्त पर निर्भर रहते हैं। विशेषतौर पर इनमें नई अथवा सापेक्ष रूप से अपरीक्षित प्रौद्योगिकियां और अक्सर अपरीक्षित प्रमोटर शामिल होते हैं। ये उच्च जोखिम वाले उद्यम जब सफल होते हैं तो यह एक उपलब्धि होती है और उनमें काफी मात्रा में धन के सृजन की क्षमता होती है। ऐसी सफलताओं की कई कहानियां हैं। भारत इन क्रांतिकारी प्रौद्योगिकियों और अभिनव परिवर्तनों के मामले में 500 वर्ष पीछे था जबकि पश्चिम में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, भारतीय उद्यमशीलता का भविष्य तभी सुरक्षित है जब भारत अपने सबसे बड़े संसाधन - अपनी प्रतिभाओं का पूरी तरह से दोहन करे। यही वह स्थान है जहां आप ज्ञान आधारित गतिविधियों में नए सुझाव देकर और नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके अपना योगदान दे सकते हैं।

17. निष्कर्ष के रूप में उद्यमशीलता का वृद्धि और विकास - दोनों ही पर प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव न केवल रोजगार के सृजन, पिछड़े क्षेत्रों के विकास, आर्थिक केंद्रीकरण को कम करने और नए विचारों को बढ़ावा देने के संबंध में पड़ता है अपितु समाज की क्षमताओं को बढ़ाने और लोगों की स्वतंत्रता और पसंदगियों को बढ़ाने पर भी पड़ता है। इसके अलावा, यह उद्यमशीलता नवोन्मेष का क्षेत्र है, विशेषतौर पर ज्ञान आधारित उद्योग में जिसमें भारत को आर्थिक नेतृत्व की भूमिका निभाने की स्थिति में लाकर खड़ा करने की क्षमता है, जो परिणामतः हमारे विकास के मार्ग में सहायक हो सकता है।

उद्यमशीलता और वित्त

18. फिर वित्त की भूमिका क्या है ? उद्यमी विचार, तकनीकों, नए विचार और उत्साह से भरा होता है जो उद्यमशील पूंजी का निर्माण करते हैं किंतु इस संबंध में वास्तविक स्रोतों पर नियंत्रण होना चाहिए। यह वित्त द्वारा प्रदान किया जाता है। इस तरह से वित्त उद्यमशीलता को उत्पादन का चौथा कारक बनने में मदद करता है।

19. भारत ने कई प्रकार से देश के विकास में ऋण का प्रयोग करने की अवधारणा की अगुआई की है। मूल उद्देश्य गरीबी उपशमन और रोजगार का सृजन था। उद्यमशीलता की भावना को उजागर करने हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत व्यवस्थाएं की गईं। यह आशा की जा रही थी कि इसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी के दुष्पक्र से मुक्ति मिलेगी, रोजगारों का सृजन होगा, विकास में तेजी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहे पलायन में कमी आएगी।

20. नीतिगत उपायों में प्राथमिक क्षेत्र को उधार देने की अवधारणा शामिल है जो सकारात्मक उपायों के माध्यम से लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराता है; 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए संपार्श्विक मुक्त उधार; बैंकों द्वारा ऋण के आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश; कार्यशील पूंजी और आवधिक ऋण के लिए कंपोजिट ऋण की अनुमति प्रदान करना; ज्यादातर जिलों में विशेषीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की शाखा; क्लस्टर-सेंटर एप्रोच को अपनाना; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के आपूर्तिकर्ताओं को किए जाने वाले भुगतानों को शीघ्रता से निपटाने के लिए दिशानिर्देश; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए सामूहिक मंच जिसमें अन्य उपायों के अलावा राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समितियां भी शामिल हैं।

21. आज सिडबी, नाबार्ड, एक्जिम बैंक, आवास वित्त संस्थाएं, और राज्य वित्त निगम जैसी संस्थाएं विभिन्न वाणिज्यिक बैंक और साथ ही साथ उद्यम पूंजी प्रदाता और सूक्ष्म वित्त संस्थाएं छोटे उद्यमियों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय बुनियादी सुविधाओं का हिस्सा बनी हैं।

22. इन वित्तीय संस्थाओं ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। प्रथमतः वे तकनीकी परामर्श संगठनों के नेटवर्क की स्थापना के माध्यम से उद्यमियों को कम लागत में परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक हुईं। दूसरी बात यह कि उन्होंने देशभर में और समाज के कमजोर वर्ग में उद्यमियों की प्रथम पीढ़ी को वित्तीय सहायता प्रदान कर उद्यमशीलता की संस्कृति

को फैलाने में सहायता की। तीसरी बात यह कि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण में उनका सहयोग उल्लेखनीय है जो कि भविष्य के उद्यमियों को उधार देने की एक पूर्व शर्त है। अंततः वे कई सरकारी कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम को लागू करते हैं। ये कार्यक्रम न केवल प्रोत्साहन और सब्सिडी उपलब्ध कराते हैं बल्कि तकनीकी कौशल, हैंड-होल्डिंग समर्थन और सहायता भी प्रदान करते हैं।

अनुकूल वातावरण तैयार करना: सरकार की भूमिका

23. उद्यमशीलता और वित्त स्वयं में साध्य नहीं हैं। इसके लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है और तभी सरकार की भूमिका आरंभ होती है। वित्त की प्रतिपूर्ति के संबंध में उद्यमशीलता के फूलने फूलने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए। एक नए उद्यमी को क्या सहयोग प्राप्त हो सकता है? प्रथमतः केन्द्र और राज्य सरकारों ने केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर एक व्यापक बुनियादी ढांचा तैयार किया है ताकि उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके। बुनियादी ढांचों के अंतर्गत आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं को प्रदान की जाने वाली तकनीकी परामर्श सुविधाएं और परामर्शदात्री सेवाएं शामिल हैं।

24. इनमें से बुनियादी ढांचे के संबंध में की गई कई पहलें काफी पहले आरंभ की गई थीं जब कई संस्थाओं का गठन किया गया था। इनमें से कुछ संस्थाएं थीं - 1954 में स्थापित लघु उद्योग विकास संगठन, लघु उद्योग सेवा संस्थान जिसे अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास संस्थान के रूप में जाना जाता है, जिला उद्योग केन्द्र इत्यादि। इन संगठनों की अपनी समस्याएं थीं किन्तु अब वे स्वयं के बदलाव के चरण में हैं। उदाहरणार्थ, लघु उद्योग विकास संगठन लघु उद्योग क्षेत्र के लिए समर्थन, हैंड होल्डिंग और मदद देने वाली एजेंसी है जो लघु उद्योग क्षेत्र को व्यापक सेवाएं उपलब्ध करा रही है।

25. क्षमता निर्माण के प्रयास काफी अधिक थे। इनका आयोजन न केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों, जैसे कि अहमदाबाद, नोएडा, हैदराबाद और गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय उद्यमशीलता संस्थान और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास संस्थान, द्वारा किया जाता है बल्कि विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा समर्थित विशेषीकृत पाठ्यक्रम के माध्यम से भी किया जाता है।

26. सरकार की नीति का एक अन्य पहलू यह रहा है कि उद्यमशीलता की संस्कृति विकसित की जाए। यह प्रयास शिक्षण पाठ्यक्रम में उद्यमशीलता को शामिल करके किया गया है। देशभर में उद्यमशीलता विकास कक्षों की स्थापना की गई है। इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क कार्यक्रम का आरंभ किया गया जिसका संचालन राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता विकास बोर्ड ने किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क का प्रमुख उद्देश्य है कि वह शिक्षण और अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग जगत के बीच समन्वय स्थापित करे।

27. प्रौद्योगिकी कारोबार संरक्षण तंत्र द्वारा नए उद्यमियों को महत्वपूर्ण समर्थन सेवाएं और सहयोग और समर्थन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

28. अंततः कई हैंड होल्डिंग योजनाएं सामने आई हैं जैसे कि राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना जो समर्थ उद्यमियों की पहली पीढ़ी, जिसने उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा कर लिया है उन्हें हैंड होल्डिंग समर्थन और सहायता उपलब्ध कराती है।

29. क्या उद्यमियों को तैयार किया जा सकता है? यह प्रश्न “प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले और बनाए जाने वाले” संबंधी वाद-विवाद के सांचे में ढला हुआ है। इसका कोई उत्तर नहीं है। तथापि, उद्यमशीलता विकास कक्षों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी कारोबार संरक्षण और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के द्वारा की जा रही पहलों में निहित विचार यह है कि अनुकूल और सही वातावरण बनाकर और शिक्षा और क्षमता निर्माण के माध्यम से समाज में छिपी हुई उद्यमी प्रतिभाओं को सामने लाया जा सकता है और संभवतः यह अनुकूल वातावरण नए उद्यमियों को भी तैयार कर सकता है।

समावेशी वृद्धि और सामाजिक उद्यमशीलता

30. 1990 के दशक से भारत की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत की हिन्दू वृद्धि दर की तुलना में बढ़ी है। पिछले दशकों में भारत ने आर्थिक क्षेत्र में काफी प्रगति की है। यह दुनिया की कुछ सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गई है। भारतीय कंपनियों ने विदेशों में अपना सिक्का जमा लिया है और उनमें से कई दुनिया भर में फैलकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनती जा रही हैं। सबसे

महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका विश्वास बढ़ा है। दुनिया का हम पर विश्वास बढ़ा है और हमारा स्वयं पर विश्वास बढ़ा है। यह विश्वास बढ़ा है कि हां हम कर सकते हैं। इस गति को जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि जो वृद्धि हुई है वह समावेशी हो, जनहित में हो और समग्र विकास के लिए हो। यह महत्वपूर्ण है कि यह भावना और विश्वास समाज के सभी हिस्सों में हो और कोई भी इस विकास से अछूता न रह जाए। इसके बिना हम उच्च वृद्धि बरकरार नहीं रख पाएंगे।

31. हमारा विकास काफी प्रभावशाली रहा है लेकिन दूसरे आयामों के संबंध में चिंता के कुछ कारण हैं। आय के वितरण के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। हमें गरीबी से संबंधित मुद्दों से निपटने में अभी बहुत समय लगेगा। मानव विकास के संबंध में हमारा देश संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2010 के अनुसार 169 देशों में 119 वें स्थान पर रहा। हम सभी सूचकांकों, जैसे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारे सामने विभिन्न समस्याएं हैं जैसे कि पानी, जल निकासी, बिजली, बुनियादी सुविधाओं और बिगड़ते पर्यावरण की। इसके अलावा हमारे समक्ष सामाजिक और आर्थिक असमानताओं और कई तरह के पिछड़ेपन की समस्याएं हैं। सभी नए उद्यमियों को इन सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इनका हल निकालना पड़ेगा।

32. इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने मौजूदा ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में समावेशी वृद्धि की रणनीति अपनायी है। इसके अंतर्गत विकास प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल है जो सर्वसाधारण, विशेषतः गरीब और सुविधाओं से वंचित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार सुनिश्चित करेगी। कई योजनाएं जीवनयापन से संबंधित मुद्दों को हल करने से संबंधित हैं और वे सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती हैं। इन योजनाओं और नीतिगत उपायों को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सामान्यतया साधारण व्यक्ति और विशिष्ट रूप से लाभग्राही की पहुंच बैंकिंग क्षेत्र तक हो ताकि वे स्वयं के खाते से भुगतान और प्राप्ति कर सकें। चूंकि वित्तीय समावेशन के बिना समावेशी वृद्धि कर पाना संभव नहीं होगा इसलिए "वित्तीय समावेशन" प्रमुख नीतिगत आधार बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का यह दृष्टिकोण है कि देश में वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं तक सभी की पहुंच होनी चाहिए, किंतु हमारा पहला लक्ष्य यह है कि 2012 तक हम 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों (और बाद में सभी ग्रामों में) तक या तो बैंक की शाखाओं या बिजनेस कॉर्रेस्पॉन्डेंट के माध्यम से अपनी पहुंच सुनिश्चित करें। इसके पीछे तर्क यह है कि उचित और परदर्शी उत्पादों/ सेवाओं सहित वित्त तक पहुंच सशक्तीकरण

का स्रोत है और लोगों को आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया में और भी अधिक प्रभावशाली ढंग से भाग लेने में सहायता करता है। समावेशी वृद्धि का हमारा सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम देशभर में लाखों सूक्ष्म उद्यमी पैदा नहीं कर देते हैं।

33. समावेशी विकास के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान में पढ़ाया जा रहा पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। सामाजिक उद्यमशीलता शब्द नया है लेकिन सामाजिक पूंजी के सृजन से संबंधित गतिविधि नयी नहीं है। 19 वीं शताब्दी के मध्य में रेफीसेन ने क्रेडिट यूनियन बनाई और सहकारिता आन्दोलन की शुरुआत की; विनोबा भावे ने भू-दान आंदोलन आरंभ किया ताकि जमीन को एकत्र करके पुनः वितरित किया जा सके; जैसे वर्तमान में एसईडब्ल्यूए की इला भट्ट, अमूल से संबंधित कुरियन अथवा ग्रामीण बैंक के मोहम्मद यूनस जैसे पुरोधाओं द्वारा सृजित सामाजिक पूंजी ने नयी दिशाएं दिखाई और मार्ग प्रशस्त किया।

34. दुनिया भर में आज भारत में सबसे अधिक गैर-सरकारी संगठन हैं। हाल के सरकारी अध्ययन में यह ज्ञात हुआ कि यह संख्या 3.3 मिलियन है। यह संख्या भारत में स्थित प्राथमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या से कहीं अधिक है। हमारे पास इनकी संख्या अच्छी है लेकिन हमें अनुकूल परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं। हमारा यह विश्वास है कि हमसे कुछ लोग जो सामाजिक क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की सोच रहे हैं और जो सामाजिक परिवर्तन के एजेंट बनेंगे वे न केवल इस कमी को पूरा करेंगे बल्कि वे नए क्षेत्रों की अगुआई भी करेंगे।

लाभ और आदर्श स्थिति

35. ज्यादातर सामाजिक पूंजी का सृजन आदर्शवाद और लाभ न लेने वाले क्षेत्रों द्वारा संचालित था लेकिन यह विचार भी काफी फैलता जा रहा है कि समाज में सबसे निचले तबके के लोगों से संबंधित कार्यों को करके भी लाभ कमाया जा सकता है और सेवाओं से वंचित समुदायों - ग्रामीण अथवा शहरी, गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर के लिए आवश्यक सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराकर भी लाभ कमाया जा सकता है। वास्तव में हम मानते हैं कि गरीबों के लिए किया गया व्यापार अमीरों के लिए किए गए व्यापार से कहीं ज्यादा लाभप्रद है। हमारे युवा उद्यमियों को यह प्रमुख बात भूलनी नहीं चाहिए।

36. यह विचार नया है और प्रभावी भी साबित हुआ है लेकिन हम यहां एक कठिन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कारोबारी उद्यमशीलता का निर्वाह करना आसान है। इसके प्रथम परिणामों को सृजित धन और

पैदा किए गए रोजगार के रूप में आसानी से नापा जा सकता है। सामाजिक उद्यमशीलता ज्यादा कठिन है। उसकी प्रभावोत्पादकता को समाज में आ रहे परिवर्तनों से नापा जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक पूंजी का सृजन निश्चितरूप से सराहनीय गतिविधियां हैं। तथापि, सामाजिक परिवर्तन के संबंध में किया जाने वाला कोई भी समर्थन और सृजित सामाजिक पूंजी की प्रकृति, मूल्यों पर आधारित है और इसलिए हमें एक समाज के मूल्यों को दूसरे समाज पर थोपते समय काफी ध्यान रखना होगा।

नैतिकता का मुद्दा

37. अब जबकि आप भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान के स्नातक बन गए हैं, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी बात है जिसे आप को ध्यान में रखना चाहिए ? पहला मुद्दा है मूल्यों और नैतिकता का। कारोबार में नैतिकता और मूल्यों की बात "आत्मविश्वास की कमी" से उत्पन्न होती है। ये चिंताएं अचानक होने वाली कारपोरेट असफलताओं और भारत तथा विदेशों में हार्ड प्रोफाइल असफलताओं के चलते और भी बढ़ी हैं। मैं वैश्विक मंदी के संबंध में बात करने में समय व्यतीत नहीं करूंगा क्योंकि यह सर्वविदित है।

38. वे कौन से गुण हैं जिनकी आवश्यकता नीतिपरक निर्णय लेने के लिए होगी? पहला गुण है नैतिक मुद्दों को पहचानने की क्षमता; दूसरा गुण है निर्णय के नीतिपरक परिणामों के संबंध में तर्क करने की क्षमता; तीसरा गुण है अस्पष्टता से निपटने की क्षमता; चौथा गुण है साध्य और साधन के बीच फर्क करने की क्षमता; पांचवां गुण है दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ना न कि परिणामों को सोचकर; छठवां और सबसे महत्वपूर्ण गुण है अपने जीवन में आगे बढ़ते समय सामने आने वाली नीतिपरक दुविधाओं का सामना करने और उन्हें सुलझाने के लिए अपनी अखंडता बरकरार रखना। यहां हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जैसे कि खेलों में होता है कि जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि ईमानदारी से खेलना। ईमानदारी से खेलने से असफलताएं और हार हाथ लग सकती हैं किंतु फिर भी जीवन के युद्ध में विजय होती है।

39. शूमपीटर ने उद्यमी को "मैन डर टैट" अथवा कार्य करने वाला व्यक्ति कहा था। उन्होंने कहा कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो जो वास्तविकता को उस रूप में स्वीकार नहीं करता है जैसी वह है। यदि किसी वस्तु या सामान की मांग नहीं है तो उद्यमी उसकी मांग पैदा करता है; वह लोगों के बीच उसकी मांग पैदा करेगा। वह निर्णय लेकर कार्य करता है और वह ऐसी कोई भी बाधा महसूस नहीं करता है जो आर्थिक कार्यों में संलिप्त अन्य व्यक्ति करते हैं।

40. हो सकता है कि आप शूमपीटर के आदर्शों पर चलना चाहें, पर मैं आपको इस बात से आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप वो सब कुछ करें जो आप करना चाहते हैं पर नैतिकता के नियमों के दायरे में रहते

हुए। इन नियमों को कक्षाओं में नहीं सिखाया जा सकता है; इन्हें केवल जीवन की कठिन परीक्षाओं से गुजरते हुए सीखा जा सकता है। पदार्थ की खोज करें न कि उसके आकार की। यह बात याद रखनी चाहिए कि नियमों की अनुपालना का महत्त्व नहीं होता है बल्कि आप अपने हृदय से जिसे सही और उचित मानते हैं उसका महत्त्व होता है; यदि हम वालरस्टीन के शब्दों में कहें तो "अच्छा, सत्य और सुन्दर"।

41. अब जैसा कि उपदेश देने का रिवाज है, मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जब इस संस्थान के द्वार के बाहर जाएंगे तब आप कर्म करने वाले व्यक्ति होंगे, और आप आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों से भरे होंगे। सपने देखिए पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि कभी भी सपनों को अपना स्वामी मत बनने दीजिएगा। जो भी काम आप करें उसे उत्साह से करें। इस बात को सुनिश्चित करें कि एक नए संगठन को बनाने और कुछ भी नया करने से जुड़ी हुई उत्तेजना, उत्साह और रोमांच में आपके दिल के सभी सदस्य सहभागी हों। आप अपने साथ काम करने वालों को साथ लेकर चलें। अपनी असफलता को मार्गदर्शक के रूप में लें और अपनी जीत को नम्रता से स्वीकार करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूसरों के अधिकारों और कमजोरियों के प्रति स्वयं के भीतर संवेदनशीलता लानी चाहिए।

42. जिस संबंध में आपको चिंता है, वह काम भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान और उसके संकाय सदस्यों ने कर दिया है। अब यह आप की जिम्मेदारी है कि आप बाहर जाएं और अपने पेशे की जानकारी करें। अंततः मैं तीन परामर्श देना चाहूंगा जो मैं प्राथमिक और स्नातकोत्तर छात्रों-दोनों ही को समान रूप से देता हूँ, प्रथमतः "सूचनाओं के संबंध में शिक्षित बनिएं" अर्थात् तीसरी पीढ़ी के शिक्षित बनिएं। प्रथम पीढ़ी का शिक्षित होना अर्थात् आपको लिखना पढ़ना आता है काफी नहीं है, या दूसरी पीढ़ी का शिक्षित होना अर्थात् आप कंप्यूटर में शिक्षित हैं यह भी काफी नहीं है बल्कि आपको सूचनाओं के संबंध में शिक्षित होना चाहिए। जब आप ज्ञान आधारित समाज में प्रवेश कर रहे हैं और सफल उद्यमी बनने की ओर अग्रसर हैं तब यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सूचनाओं के संबंध में शिक्षित हों। दूसरी बात यह कि आप भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान के स्नातक बन गए हैं और आप के अपने सपने हैं। आपमें से कई लोग अत्यंत सफल होंगे। किंतु अच्छे समय के दौरान "आत्म संतुष्ट कभी न हों"। पतन कभी भी शुरू हो सकता है। तीसरी बात यह कि जीवन कभी भी सरल नहीं होता है; यह कठिन होता है चाहे यह व्यक्ति का हो या किसी संस्थान का। बुरा समय कभी भी आ सकता है और कभी-कभी सभी बुरी बातें एक साथ होती हैं। ऐसे समय में कभी भी विचलित न हों। आशा कभी भी न छोड़ें, प्रार्थना करें और "इंतजार और उम्मीद करें" क्योंकि अच्छा समय लौट कर आएगा। मैं आज यहां से जाने वाले सभी स्नातकों को एक चुनौतियों से भरे, संपन्न, और उद्यमशील जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।